बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 1

सोमवार, तिथि 05 चैत्र, 1940 (श.) / 26 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 11

1.	ग्रामीण विकास विभाग	-	-	03
2.	कृषि विभाग	-	-	02
3.	पथ निर्माण विभाग	-	-	02
4.	ग्रामीण कार्य विभाग	-	-	01
5.	पंचायती राज विभाग	-	-	03
			कुल योग –	11

शौचालय का निर्माण

अ-85. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए शौचालय बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि आज भी जिला, अनुमंडल, प्रखंड, सचिवालय और विधान मंडल के बाहर आम नागरिकों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण विधान मंडल के बाहर चारों ओर गंदगी फैली हुई है और आम नागरिक खुले में शौच कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सार्वजनिक स्थल पर शौचालय बनाने पर विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

क्षतिपूर्ति का भुगतान

158. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2017 में उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़ से मछली, मखाना और पानी फल सिंघाड़ा की खेती बर्बाद हो गई थी, लेकिन अबतक मछुआरों और कृषकों को मुआवजा नहीं दिया गया है जिससे उनकी जीविका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया एवं अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों के मछुआरों ने बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 12 के तहत संबंधित जिलों में मुआवजा के लिए आवेदन किये हैं, लेकिन उनके आवेदनों पर अबतक विचार नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाढ़ से प्रभावित मछली पालकों, मखाना एवं पानी फल सिंघाड़ा की खेती करने वाले किसानों को जल्द मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

अ- दिनांक 13 मार्च, 2018 से स्थगित।

सड़क किनारे के पेड़ों की कटाई

159. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य उच्च पथ के दोनों किनारे स्थित पुराने पेड़ साक्षात मौत को निमंत्रण देते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अच्छी सड़क होने के कारण वाहन के थोड़े से भी अनियंत्रित होने से जानमाल के नुकसान की आशंका बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे पथों को चिन्हित कर पेड़ों को हटाने का कार्य कबतक कर सकती है?

दोषी पर कार्रवाई

160. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तीयर नदी पुल से बनकटवा चौक तक आर.डब्ल्यू.डी. ढाका प्रमंडल के संवेदक ऑनेस्ट कन्स्ट्रक्शन मोतिहारी द्वारा 2.825 किमी लंबी सड़क का निर्माण 1 करोड़, 64 लाख रु. की अनुमानित लागत से कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि संवेदक एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से काफी अनियमितता बरती गई है, उक्त पथ निर्माण के एक वर्ष के अन्दर गड्ढे में तब्दील हो गई जिससे गुस्साये ग्रामीण जनता ने धरना प्रदर्शन किया एवं कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सड़क को शीघ्र बनवा लिया जायेगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विभागीय नियमानुसार संवेदक तथा RWD ढाका के पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

न्यायमित्र की नियुक्ति

161. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में न्याय मित्र एवं कचहरी सचिव के आधे पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति का अधिकार जिला पदाधिकारी को है;

(ख) क्या यह सही है कि महीने में औसतन ग्राम कचहरी में पांच से दस मामले आते हैं, जिनके निपटारे में परेशानी हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्याय मित्र एवं कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पथ का निर्माण

162. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड अन्तर्गत छः पंचायतों वाला बिहार की एकमात्र पंचायत धमौन है;

(ख) क्या यह सही है कि धमौन से पटोरी एवं धमौन निरंजन स्थान से तारा धमौन होते हुए पटोरी तक दोनों पथ (ग्रामीण कार्य विभाग) जर्जर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण कार्य विभाग के जर्जर पथ को पथ निर्माण विभाग के अंदर अधिग्रहण कर निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्ति की कार्रवाई

163. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की लगभग एक एकड़ जमीन पर स्थानीय दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर स्थायी एवं अस्थायी निर्माण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय प्रशासन से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर अतिक्रमण की वजह से वहां पर मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत होनेवाला कार्य अवरुद्ध है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

लक्ष्य की प्राप्ति

164. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2017-18 के दौरान मृदा नमूनों का संग्रहण एवं जांच का लक्ष्य 6,54,389 है, जिसमें अबतक मात्र 2,54,925 नमूनों की जांच हो पाई है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2017-18 के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) के मुद्रण और वितरण का लक्ष्य 36,18,117 है, जिसमें अबतक 9,62,692 का मुद्रण हो चुका है और मात्र 8,90,894 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही से 3,99,464 मृदा नमूनों का संग्रहण एवं जांच नहीं हो पायी है और 26,55,425 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुद्रण नहीं हो पाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई कर उक्त लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कर्मचारियों की नियुक्ति

165. **श्री दिनेश प्रसाद सिंह** : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में कर्मियों का स्वीकृत बल 90 है, जिसके विरुद्ध मात्र 11 कर्मी कार्यरत हैं जिनमें से 08 कर्मी अगले दो वर्षों में सेवानिवृत्त हो जायेंगे, ऐसी स्थिति में शेष बचे 03 कर्मियों से कार्यालय नहीं चल पायेगा, इस प्रकार कार्यालय का कार्य ठप हो जाएगा;

(ख) क्या यह सही है कि कार्य बोझ को देखते हुए आवश्यकतानुसार कार्य के विरुद्ध संविदा के आधार पर एक-एक वर्ष के लिए रखने का निर्णय जिला परिषद् की बैठक में लिया जाता है और सरकार से मार्गदर्शन की बात बतायी जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति करना चाहती है अथवा जिला परिषद् को अपने संसाधनों से भुगतान करने की शर्त पर अन्य विभागों की भांति संविदा के आधार पर कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दोषी पर कार्रवाई

166. **डा. मदन मोहन झा** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई अनुमंडल के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बार-बार सी.डी.पी.ओ., बारसोई से भयादोहन कर रुपये की मांग की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि बी.डी.ओ., बारसोई के कार्यालय के पत्रांक 53, दिनांक 9.1.18 द्वारा अपने पद का दुरुपयोग एवं बिना उच्चाधिकारी के आदेश प्राप्त किये हुए प्रमुख एवं पंचायत समिति की कमिटी गठित कर अनधिकृत रूप से सी.डी.पी.ओ., बारसोई को महिला जानकर तंग तबाह एवं प्रताड़ित किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट, कर्तव्यहीन एवं लापरवाह पदाधिकारी पर अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अविलंब निलंबित करना चाहती है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो सके, यदि हां तो कबतक?

सड़क का निर्माण

167. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के राजपुर प्रखंड अन्तर्गत गोसाईं टोला गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर गांव में सड़क निर्माण करने की मांग की है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपने विकास की प्रतिबद्धता के लिए उक्त गांव को सड़क से जोड़ना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 26 मार्च, 2018